

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-2

(नियोजन विभाग)

संख्या: (743/10)/5/7/35-आ0-2/2008-69

लखनऊ:दिनांक: 06 अक्टूबर 2010

कार्यालय-ज्ञाप

भारत के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) को प्राप्त करने हेतु योजना आयोग, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पाँच जनपदों आजमगढ़, बदायूँ, हरदोई, हमीरपुर एवं सोनभद्र में संयुक्त अभिसरण कार्यक्रम (Joint Convergence Programme) क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत राज्य योजना आयोग एक शीर्षस्थ संस्था है तथा राज्य भूमि उपयोग परिषद इसका अंग है। एतद्वारा राज्य भूमि उपयोग परिषद को संयुक्त अभिसरण कार्यक्रम हेतु नोडल विभाग नामित किया जाता है और निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1. श्रीमती मृदुला सिंह, अपर निदेशक, राज्य भूमि उपयोग परिषद, राज्य योजना आयोग, 30प्र0 इस कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी होंगी।
2. नियोजन विभाग के अन्तर्गत कार्यक्रम अनुश्रवण, समन्वय आदि कार्यों के लिये संयुक्त अभिसरण कार्यक्रम सैल (Joint Convergence Programme Cell) का गठन किया जायेगा। प्रस्तावित सैल हेतु पृथक से कोई पद सृजित नहीं होगा।
3. यह सैल एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगा तथा समस्त प्रशासनिक, सचिवालय कार्य, आहरण एवं वितरण तथा आडिट आदि का कार्य सैल द्वारा स्वयं किया जायेगा।
4. अवस्थापनाओं का सृजन तथा अन्य अधिष्ठान सम्बन्धी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने से सम्बन्धी कार्य भी सैल द्वारा स्वयं सम्पादित किये जायेंगे।
5. सम्बन्धित जनपदों में संयुक्त अभिसरण कार्यक्रम की कार्य योजना तथा उसके कार्यान्वयन के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत करने,

प्रगति, समन्वय आदि का कार्य भी इस सैल द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

6. सैल हेतु योजना भवन में उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जायेगा सैल की अन्य वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपलब्ध धनराशि से उनके मानकों के अनुसार की जायेगी। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Chand Im
(जे०एन० चैम्बर)
प्रमुख सचिव

संख्या: (743/10)(1)/5/7/35-आ०-2/2008-69, तद् दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री इंदू पटनायक, उप सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार।
2. समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
3. सम्बन्धित जनपदों के मण्डलायुक्त।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
5. जिलाधिकारी, आजमगढ़, बदायूँ, हरदोई, हमीरपुर तथा सोनभद्र।
6. यूनाईटेड नेशन्स रैजीडेन्ट को-ऑर्डिनेटर, यू०एन०आर०सी०ओ०, नई दिल्ली
7. राज्य प्रतिनिधि, यूनिसैफ, लखनऊ।
8. हेड, गवर्नेन्स यूनिट, यू०एन०डी०पी०, नई दिल्ली।
9. सम्बन्धित जनपदों के मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या।
10. सम्बन्धित जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारी।
11. राज्य योजना आयोग-1/2 तथा भूमि उपयोग परिषद।
12. नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
13. श्रीमती मृदुला सिंह, अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद, नियोजन विभाग।
14. प्रमुख सचिव नियोजन के निजी सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
15. विशेष सचिव (अ) तथा विशेष सचिव (ह) के निजी सचिव को विशेष सचिव के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से,

Chand Im
(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव